Chapter-2

(कम्पनी का निगमन और इससे सम्बन्धित मामले)
(Incorporation of company and Matters Incidental there to)

DATE
PAGE NO.

कम्पनियों और प्रमोटरी के निगमन का परिचय :- इसमे धारा 3- 22 के साथ-साथ कम्पनि निगमन नियम 2014 शामिल है।

जो व्यक्ति कंपनी को शामिल करने के लिये प्रचार गतिविधियाँ करते है उन्हे आमतौर पर प्रमोटर के रुप में जाना जाता है।

कम्पनी अधिनियम 2 की धारा 2(69) → 4 conditions

1. विवरणिका में प्रमोटर के रुप मे किसी सन्दर्भित किया गया (या)
2. वार्षिक रिटर्न मे कम्पनी द्वारा प्रमोटर के रुप मे किसे पहचाना गया (या)
3. कम्पनी के मामलो मे जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अशंधारक, निदेशक, या अन्यथा के रुप में नियन्त्रण है (या)
4. जिनकी सलाह या निर्देश से कम्पनी का निदेशक मंडल कार्य करने के आदि है लेकिन उन व्यक्तियो को शामिल नही किया जायेगा - पेशेवर क्षमता, जैसे वकील तकनीकी या कायत्कि विशेषज्ञ के रुप मे कार्य कर रहा हो।

Note: प्रमोटर बनने के लिये किसी को कम्पनी के प्रारम्भिक गठन से जुड़ा होना जरुरी नही है (जो बाद में इसकी पूँजी को प्रवाहित करने की व्यवस्था करने में मदद करता है) → प्रमोटर (✓)

कम्पनी का गठन धारा (3)

कम्पनी →
- विधानमण्डल के विशेष अधिनियम (या)
- कम्पनियों के अधिनियम (2013)

एक सार्वजनिक कम्पनी - (7) या अधिक व्यक्ति
एक निजी कम्पनी - (2) या अधिक व्यक्ति
एक व्यक्ति कम्पनी (1) व्यक्ति द्वारा

} उपधार 2 से धारा 3 → कम्पनियाँ शामिल की जा सकती है-
- शेयरो द्वारा सीमित
- गांरटी द्वारा
- असीमित देयता वाली

DATE
PAGE NO.

कुछ मामलो में सदस्य गंभीर रुप से उत्तरदायी होते है -

(न्यूनतम सदस्यता में कमी धारा 3A)

सार्वजनिक और निजी कम्पनी के मामले में कम्पनी के सदस्यों की संख्या क्रमश: (7) और (2) से कम हो जाती है -
ऐसी कम्पनी सदस्यों की कम संख्या के साथ 6 महीने से अधिक समय तक कारोबार करती है -
ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो उन 6 महीनो के बाद व्यवसाय करते है वह इस तथ्य से अवगत है कि व्यवसाय कम सदस्यो के साथ किया जाता है -
ऐसे सदस्य उस समय के दौरान (6 Months के बाद) करार किये गये कम्पनी के सभी ऋणों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होते है -

कम्पनी का निगमन (धारा 7)

रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज और जानकारी दाखिल करना (उप-धारा 1) →

कम्पनी के पंजीकरण के लिये - एक आवेदन उस रजिस्ट्रार के पास दायर किया जायेगा। जिसके अधिकार क्षेत्र में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय (SPICE + INC-32) (क्षेत्रीय कार्यालय) स्थिर होना प्रस्तावित है

विधिवत हस्ताक्षरित एसोसिएसन का ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लेख -
MOA (INC=33) और (AOA INC 34) MOA के सभी ग्राहको द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा (INC-8) की निगमन के सम्बन्ध में अधिनियम एवं नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया।
(1) → प्रत्येक ग्राहक को - अपना नाम, पता, विवरण और व्यवसाय यदि कोई हो जोड़ना होगा (कम से कम 1 गवाह की उपस्थिति में जो हस्ताक्षर की सत्यापन करेगा) हस्ताक्षर करेगा अपना नाम, पता, विवरण और व्यवसाय यदि कोई हो जोडेगा।

अनपढ़ - अंगूठे का निशान या निशान लगायेगा। जिसे उसके लिये लिखने वाले व्यक्ति द्वारा वर्णित किया जायेगा (जो ग्राहक के नाम निशान के आगे या नीचे रखेगा और इसे अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा (ग्राहक के नाम के सामने उसके द्वारा लिये

DATE
PAGE NO.

शेयरो की संख्या):- लिखना।

ग्राहक एक corporate निकाय है:- वहां ज्ञापन और Association लेखों पर निदेशक मंडल के एक संकल्प द्वारा इस सम्बन्ध में विधिवत निकाय कॉर्पोरेट के निदेशक अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

जहाँ ग्राहक एक सीमित देयता भागीदारी है:- भागीदारी के एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा (सभी भागीदारों द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव द्वारा विधिवत अधिकृत होगा।

कम्पनी के पेशेवर और निदेशक, प्रबन्धक या सचिव द्वारा अनुपालन की घोषणा

एक वकील, CA, cost Accountant, या practice करने वाला कम्पनी सचिव जो कम्पनी के गठन में लगा हुआ है or
लेखों में कम्पनी के जिसे निदेशक, प्रबन्धक या सचिव के रूप में नामित-व्यक्ति।

ज्ञापन के ग्राहकों और पहले निदेशकों के रूप में नामित व्यक्तियों द्वारा घोषणा- (INC(9) → co. की किसी प्रचार, गठन या प्रबन्धन के सम्बन्ध में किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया (-पिछले 5 सालो में किसी भी कम्पनी में धोखाधड़ी या गलतफहमी या किसी भी कर्तव्य के उल्घंन का दोषी नही पाया गया हो।

ज्ञापन के ग्राहकों का विवरण:- नाम, (उपनाम या परिवार के नाम सहित) नवीनतम फोटो चिपकाया गया। पिता-माता का नाम। राष्ट्रीयता (if foregner तो राष्ट्रीयता का प्रमाण) जन्म तिथि और स्थान (जिला और राज्य)। अकादमिक योग्यता एवं व्यवसाय। स्थायी खाता सं.। Subscriber की Email and Phone No.) । स्थायी आवासीय और वर्तमान पता)
आवासीय प्रमाण जैसे - बैंक स्टेटमेंट, बिजली बिल, Telephone/Mobile बिल, दो महीने से अधिक पुराना न हो।

Teacher's Signature

DATE
PAGE NO.

यदि ग्राहक पहले से ही किसी कम्पनी का निदेशक या प्रमोटर है तो कम्पनी के नाम से सम्बन्धित विवरण (कॉरपोरेट पहचान सं० चाहे निदेशक या प्रमोटर के रूप में रुचि हो)

जहाँ ज्ञापन का ग्राहक कॉरपोरेट निकाय है - विवरण रजिस्ट्रार के पास दाखिल -

corporate निकाय - नाम, co- corporate पहचान संख्या, पंजीकरण संख्या (यदि हो) GLN - Global location No. होती, पंजीकृत कार्यालय का पता या व्यवसाय का मुख्य स्थान, ईमेल ID, (यदि कम्पनी है तो बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, जिसमे अन्य बातो के साथ - साथ MOA की सदस्यता लेने के लिये - प्राधिकरण निर्दिष्ट हो।

(c) corporate निकाय सीमित देयता भागीदारी या साझेदारी फर्म है - (सभी की सहमति - संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति) + MOA की सदस्यता के लिये प्राधिकरण को निर्दिष्ट करती है।

(d) विदेशी निकाय कॉर्पोरेट मामले मे - (विदेशी निकाय - कॉर्पो० के निगमन प्रमाणपत्र (Photocopy) से सम्बन्धित विवरण (address)

पंजीकरण पर निगमन प्रमाणपत्र जारी करना → रजिस्ट्रार NIC ~~ईमेल~~ ।। मे निगमन प्रमाण पत्र जारी करेगा।

कॉरपोरेट पहचान संख्या → निगमन प्रमाण पत्र मे उल्लखित तिथि से रजिस्ट्रार co० को corporate पहचान संख्या आवंटित करेगा। (कम्पनी की विशिष्ट पहचान) (CIN) → 21 Alpha-Numeric अंको पर आधारित विशिष्ट पहचान संख्या जिसमे 2 डेटा अनुभाग / तत्व शामिल है।

सभी दस्तावेजो और सूचनाओ की प्रतियों का रखरखाव →

निगमन के समय झूठी या गलत जानकारी देना या वास्तविक तथ्य को छुपाना (निगमन प्रक्रिया के दौरान) - धारा 447 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये उत्तरदायी

(निगमन के बाद) →
- कोई गलत या गलत जानकारी (अभ्यावेदन प्रस्तुत करना) (या)
- किसी com० को शामिल करने के लिये दायर या किये गये किसी भी दस्तावेज या घोषणा मे किसी Important जानकारी को छिपाकर (या)
- किसी भी कपटपूर्ण कार्य द्वारा

प्रमोटर (447)

Teacher's Signature..................

DATE
PAGE NO.

अधिकरण का आदेश:- (Tribunal NCLT) → इस बात से संतुष्ट होने पर कि स्थिति उचित है दिये गये आवेदन के जवाब में आदेश पारित कर सकता है जिसमें वह उचित समझे।-

सार्वजनिक हित में:- कम्पनी उसके सदस्य और लेनदारों के हित में, इसके ज्ञापन और लेखों में परिवर्तन यदि कोई हो (सहित कम्पनी के प्रबन्धन का विनियमन) या

- निर्देश:- सदस्यों का दायित्व असीमित होगा। या
- कम्पनी के रजिस्टर से कम्पनी के नाम को हटाने के लिये निर्देश या
- कम्पनी का समापन (ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले) →
- सुनवाई का उचित अवसर
- अधिकरण company द्वारा किये गये लेनदेन पर विचार किया जायेगा (जिसमे दायित्व यदि कोई हो अनुबंधित या किसी देयता का भुगतान शामिल है।

धर्मार्थ वस्तुओं आदि वाली कम्पनियों का गठन (धारा - 8)

NPL - (Not for profit license) CIN के 5वें छठा भाग में

धारा 8(1) के तहत लाइसेंस कौन जारी और प्राप्त कर सकता है - अगर यह साबित हो जाये कि

व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक सीमित कम्पनी के रूप में पंजीकृत होने का प्रस्ताव रखता है (तो केन्द्र सरकार लाइसेंस देती है)

उद्देश्य:- वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान, पर्यावरण की सुरक्षा या ऐसी किसी अन्य वस्तु को बढ़ावा

लाइसेंस का उपयोग कर कम्पनी का पंजीकरण → लाइसेंस देने के बाद कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 19 में निर्दिष्ट तरीके से कम्पनी के पंजीकरण के लिये धारा 8(1) के तहत रजिस्ट्रार को आवेदन किया जायेगा।

पंजीकरण के लिये आवेदन → धारा 8(1) - SPICE (INC32)

ज्ञापन और अनुच्छेदों में बदलाव के लिये सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है -

इसके तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता।-

Teacher's Signature..........

DATE
PAGE NO.

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशकों को सौंपी गयी शक्ति) आपत्ति ज्ञापन में परिवर्तन के लिये (और)
इसके अनुच्छेदों में परिवर्तन के लिये केन्द्र सरकार (ROC को शक्ति सौंपी गयी)

किसी अन्य वर्ग की कम्पनी में परिवर्तन → (1) एक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करना। (2) व्याख्यात्मक बयान में रुपान्तरण के कारण का विवरण दिया जाना चाहिये
विशेष प्रस्ताव की प्रमाणित (photocopy) + रुपान्तरण के अनुमोदन के लिये व्याख्यात्मक विवरण + बैठक बुलाने के नोटिस की 1 प्रति के साथ + शुल्क + क्षेत्रीय निदेशक फॉर्म संख्या INC-18 में एक आवेदन दाखिल करेगी।
पंजीकृत डाक या हाथ से डिलिवरी द्वारा भेजे गये नोटिस :- (तामील का प्रमाण भी संलग्न) - कम्पनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मुख्य आयकर आयुक्त
(2) आयकर अधिकारी जिसका कम्पनी पर अधिकार क्षेत्र है। (3) चैरिटी - कमिश्नर (4) उस राज्य का मुख्य सचिव जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है (5) केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण का कोई संगठन या विभाग जिसके अधिकार क्षेत्र में कम्पनी संचालित हो रही है।
Note → इनमें से कोई (प्राधिकारी क्षेत्रीय निदेशक) को अभ्यावेदन देना चाहता है तो उसे कम्पनी को एक अवसर देने के बाद Notice प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा।

लाइसेंस का रद्दीकरण → केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गयी शक्ति) आदेश द्वारा उस कम्पनी का लाइसेंस रद्द कर सकती धोखाधड़ी, किसी भी आवश्यकता या शर्तों का उल्लंघन करती है जिसके अधीन लाइसेंस जारी किया जाता है। (निरस्तीकरण पर, रजिस्ट्रार रजिस्टर में कम्पनी के नाम के सामने Ltd. या Pvt Ltd लगायेगा।
सुनवाई का अवसर (उसके बाद) - कम्पनी बंद कर दी जायेगी, परिसमापन या विघटन पर अतिरिक्त सम्पत्ति उसके ऋणों देनदारियों की संतुष्टि के बाद स्थानांतरित की जा सकती है।
○ Tribunal लगा सकती है।
○ बेचा जा सकता है इसकी आय दिवाला - दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 224 के तहत दि॰ - दिवाल॰ कोष में जमा की जा सकती है।

Teacher's Signature..............

DATE
PAGE NO.

© पंजीकृत और समान उद्देश्य वाली कम्पनी के साथ मिला दिया जाना।

उल्लंघन करने पर सजा, धारा (8) निर्धारित किसी आवश्यकता का अनुपालन करने में कोई चूक।- कम्पनी पर 10 Lakh से 1 crore तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।, कम्पनी के निदेशक प्रत्येक अधिकारी जो चूक करेगा 25k से लेकर 25L ₹ तक के जुर्माना से दण्डनीय

⊙ कम्पनी का काम काज धोखाधड़ी से संचालित } → चूक करने वाला प्रत्येक अधिकारी धारा 447 के तहत करवाई के लिये उत्तरदायी होगा।

पंजीकरण का प्रभाव धारा (9)

पंजीकरण के बाद कम्पनी एक अलग कानूनी इकाई बन जाती है और अपने नाम से सम्पत्ति रखना, समझौते करना, व मुकदमा करना / झेलना जैसे अधिकार प्राप्त कर लेती है।

धारा (4)
MOA — Constitution define / charter doc.

MOA कम्पनी का चार्टर/संविधान है यह बताता है कि कम्पनी क्यो बनी है उसके उद्देश्य क्या है वह किन किन सीमाओ में काम कर सकती है

MOA के मुख्य खण्ड:-
नाम खण्ड – कम्पनी का पूरा नाम लिखा होता है
नाम के अन्त में Ltd. या Pvt Ltd. लिखा होता है } धारा 4 1 (a) उपधारा

स्थिति खण्ड:- कम्पनी का रजिस्टर्ड office किस राज्य में है यह बताया जाता है (इसमें कम्पनी के ज्यूरिस्डिक्शन अधिकार का पता चलता है।

Main / Incidental
उद्देश्य खण्ड, दायित्व खण्ड, पूँजी खण्ड (लागू, यदि कम्पनी शेयर पूँजी के साथ बनाई गयी हो)

⊙ Acssociation clause or Subscriptional clause (specialy in OPC)

⊙ नामांकन खण्ड (OPC के मामले में)
└ Nominee

Teacher's Signature..........

(MOA)

- कम्पनी गठन के लिये मौलिक दस्तावेज
- MOA की विषय वस्तु कम्पनी अधिनियम के अनुरुप होनी चाहिये।
- MOA में कम्पनी का उद्देश्य निहित है जिसके आगे उसकी कार्यवाही नही हो सकती।
- MOA कम्पनी अधि० 2013 की धारा 399 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है।
- कम्पनी के साथ अनुबन्ध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह मान लिया जाता है कि उसे MOA मे निहित शर्तो का ज्ञान है।
- शेयरधारको को अवश्य पता होना चाहिये कि कम्पनी द्वारा इस धन का उपयोग किस उद्देश्य के लिये किया जा सकता है।
- कम्पनी MOA से अलग नही हो सकती अथवा अल्ट्रा-वायरस Act
- किसी कम्पनी का MOA अधिनियम की अनुसूचि 1 मे तालिक A, B, C, D, E मे निर्दिष्ट सेवधित रुपो मे होगा।

DATE
PAGE NO

प्रस्तावित कम्पनी के लिये नाम आरक्षित करने हेतु आवेदन (उपधारा 4) →

(SPICE+INC 32) दोष यदि कोई हो सुधार के लिये 15 दिनों के भीतर पुनः सबमिशन की अनुमति दी जायेगी ।

मौजूदा कम्पनी के बदलते नाम के लिये नाम आरक्षित करने हेतु आवेदन उपधारा 4

वेब सेवा RUN (Reserve Unique Name) का उपयोग करके रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है

के सुधार के लिये 15 दिनों के भीतर पुनः सबमिशन की अनुमति

नामों और उनके शब्दों और अभिव्यक्तियों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंध (उपधारा 2 व 3) →

नाम का Reserve आरक्षण (उपधारा - 5) आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार आवेदन के साथ दी गयी जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर अनुमोदन की तारीख से 20 दिनों की अवधि या अन्य अवधि के लिये नाम आरक्षित कर सकता है ।

₹ 1000 के शुल्क के साथ अन्य 20 दिन (कुल 40) के लिये जिसे ₹ 2000 के शुल्क के साथ अगले 20 दिन (कुल 60 दिन) के लिये बढ़ाया जा सकता है ।

एसोसिएशन के लेख AOA (धारा - 5)

कम्पनी का आन्तरिक नियम-पुस्तक है जिसमें कम्पनी के प्रबन्धन, निदेशकों के अधिकार, सदस्यों के अधिकार तथा बैठकों की प्रक्रिया से जुड़े सभी नियम लिखे होते हैं ।

शामिल की जाने वाली सामग्री और मामले उपधारा (1 और 2) →

(a) कंपनी के प्रबन्धन के लिये नियम
(b) ऐसे मामले जो निर्धारित किये जा सकते हैं (कंपनी (निगमन नियम 2014

Teacher's Signature..................

के नियम 10 और 11 Association के लेखों की सामग्री और मॉडल प्रदान करना चाहते हैं प्रावधान :-

अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत दिये गये मॉडल फॉर्म में निर्दिष्ट मामलो को संदर्भित करते है।

- हॉलाकि कम्पनी ऐसे अतिरिक्त मामले शामिल कर सकती है, जो उसके प्रबंध की आवश्यकता पारित हो सकती है।

प्रवेश के लिये प्रावधान (उपधारा 3 से 5) →

अनुच्छेद में फंसाने के प्रावधान हो सकते हैं (उपधारा -3) →

विशेष संकल्प के मामले में लागू होने वाली शर्तों की तुलना में अधिक कठिन शर्तों को पूरा किया जाता है या उनका अनुपालन किया जाता है, तभी बदला जाता है।

प्रवेश प्रावधान को शामिल करने का तरीका उपधारा -4 -

फंचमेंट के प्रावधान केवल या तो किये जायेगे: किसी कम्पनी के गठन पर या लेखो में एक संशोधन द्वारा सहमति व्यक्त की

- निजी कम्पनी के मामले में कम्पनी के सभी सदस्यों द्वारा ह
- किसी सार्वजनिक कम्पनी के मामले में एक विशेष संकल्प द्वारा

धारा 5(4)

- प्रवेश का समय
  - गठन पर
  - अस्तित्व में आने के बाद
    - निजी क० - सभी सदस्य
    - सार्वजनिक क० विशेष संकल्प

एंट्रेंचमेंट प्रावधान के रजिस्ट्रार को नोटिस →

कम्पनी निगमन नियम 2014 के नियम 10 के नियम के साथ पढ़ी जाने वाली उपधारा 5)

Teacher's Signature

DATE
PAGE NO.

Entrenchment

- Meaning
  - When specified Provision of AOA can be altered only If procedure more Restricted then special Resulation complied with
- Manner of Inclusion
  - At the time of Incorporation
  - After Incorporation
    - Pvt comp → All members
    - Public comp → special Resulution
- Notice to ROC
  - New company = spice + form
  - Old company - MGT-14

कम्पनी को ROC को एन्ट्रेंचमेंट के प्रावधान की सूचना देनी होगी { New company INC-32
मौजूदा कम्पनी MGT-14 (30 दिनों के भीतर)

AOA अधिनियम की सूचना 1 मे तालिका F, G, H, I, J मे निर्दिष्ट संबंधित रुपों मे होगा कम्पनी ऐसे कम्पनी पर लागू मॉडल लेखों में निहित सभी या किसी भी विनियमन को अपना सकती है।

(2) कोई भी कम्पनी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद पजीकृत हुयी है या तो स्पष्ट रुप मे अपवर्जित कर सकती है या संशोधित कर सकती है या फिर उस कम्पनी पर लागू होने वाले मॉडल प्रपत्रो मे जो कहा गया है उसे लागू कर सकती है।

(1) रचनात्मक सूचना का सिद्धान्त
(2) अल्ट्रा वायर्स का सिद्धान्त
(3) आंतरिक प्रबन्धन का सिद्धान्त या टर्क्वांड नियम
(4) इंडोर प्रबन्धन के सिद्धान्त के अपवाद
} → Imp.

(1) → सिद्धान्त (रचनात्मक सूचना) -

Company —document file→ ROC → Public document
(MOA | AOA | Financial statement | → Public Documents)
ROC = Public office, Sec 399
Public document = { Availauble to inspection at a nominal fees

doctrine constructive Notice

(Mr o Z) —contract→ Company } - Mr & Z do not denied कि मैंने पढ़ा नही था / पढ़ा ही या फिर न पढ़ा हो

Assumed MOA / AOA { Read ✓ & Understand ✓

Teacher's Signature..................

DATE
PAGE NO.

अल्ट्रा वायर्स का सिद्धान्त - ल्याग्ल term, Beyond power → अपनी power के Beyond काम करना

company

Mr. Gurpreet → Gurpreet somose wallah

Not legal / Void

In MOA ← object = selling somosha → Ultra virus the MOA → without change object

Gurpreet somosha wallah —Sold 1000 phones for Rs xxxx→ Mr. A

- Ultra virus the MOA or Ultra vires the company } → Can not be retified Even all share holder — Cannot retified
- (Company) → Ultra virus the AOA, Ultra vires the power of Directors } → Can be retified by the shareholder

आंतरिक प्रबन्धन का सिद्धान्त -

Ultra vires

(Company) → Documents → Public doc ↓ MOA, AOA, FS, Certificate of Incorporation; docs & Procedures ↓ Internal — Not Available in Public domain

(Eg) → Co
||
MOA = Samose Business
||
object

Co —1000 phones→ Mr. X
← Price ↳ Ultra vires (void)

→ आंतरिक प्रबन्धन का सिद्धान्त लग जायेगा।

इंडोर प्रबन्धन के सिद्धान्त :- जन्म — Royal British V/S Taraquand

Teacher's Signature.........

DATE
PAGE NO.

loan

Co. — AOA: Company can take loan and issue bond after taking approval from Members in general Meeting — Roya British Bank

Roya British Bank → doctrine of constructive Notice AOA/MOA (Information) (✓)

→ case on taxquant

But - Company collects Members Approval or not this is companies internal issue
→ Company Responsible
→ sell company Assets
Give R.O.B Amount

issued Bond

Buinding up
→ liquidator Appoint (taxquand)
→ says we not collect Members approval Before loan → Royal B. Bank we do not pay your Money

take bond and give me Money

इंडोर प्रबन्ध के अपवाद :-

No Knowledge of Irregularity → Doctrine of Indore Mgm - Applicable

Knowledge of Irregularity → Doctrine of Indore Mgt - Not Applica.

Co — 100cr loan — Gurpreet
AOA: Company can take loan after approval from members in General Meeting
without Approval
Gurpreet | Recover

Co. — 10cr. — Guri
= Mail we must need Money urgently
Therefore we are not taking Approval from Members

② Negligence → Mr. X — contract — Co.
DIM ⓧ
Mr. X → Mr A - Watchman
Property Sell
No Authority { To keep on Eye on the assets of Company }

No Recovery

forgery → fake Sign
→ fake documents
{ I Rishabh arora transferring my whole property to Gurpreet }
& → Gurpreet ने sign कर दिये
→ Fake Sign

fake document बनालेना

Teacher's Signature.................

DATE
PAGE NO.

Existence of Agency   CO = Human body — (X)
↳ Humans as Agent

10,000 orders
Gurpreet → Mr. Raj → But Mr. Raj is not Agent
पैसे अभी दे दो आपके पास Mobile आ जायेगा
" One plus
↳ Phone One plus — Market Value 1,00,000
↳ 10,000

Section 6 ज्ञापन अनुच्छेद आदि को खत्म करने के लिये अधिनियम

Act V/s MOA
Act V/s AOA
Act V/s Agreement
Act V/s Member Requlution
Act V/s Bord of direct Resulution

} → always Act win

ⓒ अगर Act में ही follow करने को लिखा है MOA / AOA } - तो उसे follow करेगें।
ⓔ ज्ञापन, लेख, समझौते या संकल्प में शामिल कोई भी प्रावधान, अधिनियम के प्रावधानो के विरोध की सीमा तक शून्य हो जायेगा।
(→ Void)

(धारा 10) ज्ञापन और लेखों का प्रभाव

Company Members — Contract — CO.
"
MOA & AOA (Members = को कम्पनी
(कम्पनी को Members)
(Mebers bind to other Members)

MOA — Member - Share ₹10₹ - Member
Fail — CO.
10₹ Sue

किसी भी सदस्य द्वारा कम्पनी की ज्ञापन या अनुच्छेदो के अन्तर्गत देय समस्त धनराशि कम्पनी को उसके द्वारा देय ऋण होगी।
उदा० एक कम्पनी किसी सदस्य से बकाया राशि की वसूली उतनी ही मजबूती से कर सकती है जितनी मजबूती से वह ऋण की वसूली करती है।

Note: कोई भी अनु० कम्पनी और किसी तीसरे व्यक्ति के बीच अनुबन्ध का गठन नही कर सकते

Teacher's Signature........

DATE
PAGE NO.

ज्ञापन में परिवर्तन (धारा 13)

कम्पनी विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों के अनुमोदन से अपने ज्ञापन के प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा कम्पनी ऐसे विशेष प्रस्ताव की प्रति ROC के पास दाखिल करेगी।

Change in name clause

स्वैच्छिक परिवर्तन
(धारा 13)
↓
विशेष संकल्प
Central Gov (ROC) का अनुमोदन
ROC के साथ (Special Resolution + Central Gov) अनुमोदन की प्रति
ROC नाम परिवर्तन को प्रमाणित करता है और INC-25 मे नया COI जारी करता है

अनिवार्य परिवर्तन

- धारा 4(5)(ii) के तहत गलत जानकारी के साथ नाम आरक्षित
  - Central Gov (Regional Director) खुद से (suo moto) पारित करके कम्पनी को 3 महीने के भीतर नाम बदलने का आदेश दे।
  - कम्पनी निगमन नहीं है = नाम रद्द कर दिया गया है और आवेदक पर 1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  - कम्पनी निगमित: opportunity of Being Heard देने बाद ROC 3 Months के भीतर नाम बदलने का आदेश पारित करके या ordinary रजिस्टर से हटा दे Resolution - परिसमापन के लिये याचिका।
- यदि कम्पनी किसी अन्य कम्पनी और पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान या मिलते-जुलते नाम से पंजीकृत है धारा (16)
  - ट्रेडमार्क के स्वामी को (Central Gov) (RD) को 3 वर्ष के भीतर
    ↓
    Central Gov आदेश पारित करके कम्पनी को 3 Months के अन्दर नाम बदलने का आदेश देगा यदि कम्पनी ऐसा करने मे विफल रहती है तो (CG) नया नाम आवंटित करेगा।

लेखो में परिवर्तन (धारा 14)

Normal Rule AOA change – SR pass

Pvt Ltd ——→ Public Co.
Public ——→ Pvt Ltd (subject to Central Gov approval)

Teacher's Signature..............

DATE
PAGE NO.

पंजीकरण के लिये AoA मे परिवर्तन के 15 Days के भीतर नि० लि० दस्तावेज ROC के पास दाखिल किये जाने चाहिये -

AoA का प्रत्येक परिवर्तन

ऐसे परिवर्तन के लिये (CG Approval)

परिवर्तित लेखों की मुद्रित प्रति

⑥ → पंजीकृत AoA मे कोई भी परिवर्तन उसी प्रकार वैध होगा जैसे कि वह मूलतः अनुच्छेदो मे था।

ज्ञापन या लेखो मे परिवर्तन प्रत्येक प्रति मे नोट किया जाना चाहिये Sec 15

प्रत्येक परिवर्तन – प्रत्येक प्रति नोट

चूक करने पर कम्पनी और प्रत्येक अधिकारी – बिना परिवर्तन के जारी की गयी प्रत्येक प्रति के लिये 1000 के जुर्माने के लिये उत्तरदायी।

Sec 399

public → public document

MCA की website

₹ 100 pay

Sec 17

Member of Company → CO (App + fees = Request AoA/MoA/Agree 117), 7 days

अगर 7 दिनो मे नही भेजती तो Default

CO + Every officer in default

₹ 1000/day or ₹ 1 Lakh whichever is lower

(Sec 12) कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय

निगमन के 30 दिनो के भीतर और उसके बाद हर समय कम्पनी के पास एक पंजीकृत कार्यालय (RO) होगा जो संचार और सूचनायें प्राप्त करने मे सक्षम हो

⑥ → कम्पनी निगमन के 30 दिनो के भीतर ROC को RO की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

Teacher's Signature

DATE
PAGE NO.

प्रत्येक कम्पनी :- प्रत्येक कार्यालय के बाहर जिसमे उसका कारोबार किया जाता है एक सुस्पष्ट स्थान पर उस इलाके मे सामान्य रुप से प्रयुक्त होने वाली भाषाओ मे सुपाठ्य अक्षरो में अपना नाम /पता अंकित करना लगाता

(2)→ यदि कोई हो तो अपनी सामान्य मुहर पर अपना नाम सुपाठ्य अक्षरो मे उत्कीर्ण करे

(3) इसके सभी व्यावसायिक पत्रो, बिल, रसीदों, पत्र-पत्रो और अन्य अधिकारिक प्रकाशनो में मुद्रित नि० लि० विवरण

Name, Registered office adress, company corporate Intety Number Tellphone Number, fax Number if any, Email, website address

(4) हुंडी स्वत पत्र, विनिमय पत्र और अन्य निर्धारित दस्तावेजो पर अपना नाम मुद्रित करवाये।

Note- पिछले दो वर्षो के दौरान नाम परिवर्तन के मामले मे पूर्व नाम लिखे या चिपकाये उ(OPC के मामले मे ऐसे नाम के नीचे (एक व्यक्ति कम्पनी) शब्द का उल्लेख किया जाना चाहिये।

If any default = company & Every offices - 1000/day default continuse
But not Exceeding 1 Lakh

यदि ROC के पास यह मानने का उचित आधार है कि co. कोई व्यवसाय या संचालन नही कर रही तो वे निर्धारित तरीके से Registered office का भौतिक सत्यापन कर सकता है और यदि उप-धारा (1) की आवश्यकताओ के अनुपालन मे कोई चूक पायी जाती है तो co. के रजिस्टर से • co. का नाम हटाने के लिये कारवाई शुरु कर सकता है।

व्यवसाय आदि का प्रारम्भ
Sec 10A

→ on company having share capital
Business ×
Borrowing ×
॥
Unless
conditions -

Teacher's Signature..........

DATE
PAGE NO.

निदेशक द्वारा निगमन के 180 दिनों के भीतर फार्म INC 20A मे घोषणा ROC के पास दाखिल की जाती है कि घोषणा की तिथि तक प्रत्येक अभिदाता ने लिये जाने के लिये सहमत शेयरो के मूल्य का भुगतान कर दिया है।

↓

उक्त फार्म की सामग्री को व्यावहारिक रुप से CS / CA / cost Acc. द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

↓

यदि कम्पनी को किसी क्षेत्रीय विनियामक से पंजीकरण / अनुमोदन की आवश्यकता हो तो ऐसा पंजीकरण / अनुमोदन (Approval) प्राप्त कर घोषणा के साथ सलंग्न करे।

(2) कम्पनी ने (ROC) के पास धारा के तहत प्रदान किये गये RO का सत्यापन दाखिल किया है -

If default com - 50000 & officer 1000/day up to ₹ 1 Lakh

180 ° दिन के अन्दर Declaration file नही हुयी ROC (Reginable Ground to beelieve) कम्पनी ने Business start नही किया (ROC ऐसी कम्पनी के लिये Removal of Name का action ले सकती है)

(Sec-18) पूर्व पंजीकृत कम्पनियों का परिवर्तन

Conversion of company - MOA or AOA - changed

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी वर्ग की कम्पनी MOA और AOA मे परिवर्तन करके इस अधिनियम के तहत खुद को अन्य वर्ग की कम्पनी के रुप मे परिवर्तित कर सकती है।
जहाँ इस धारा के तहत धर्मान्तरण किया जाना अवश्यक है।
कम्पनी द्वारा किये गये आवेदन पर
ROC स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि इसके प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। (पहले पंजीकरण की तरह ही नया COI जारी करे।

Teacher's Signature

DATE
PAGE NO.

इस धारा के अन्तर्गत co. का पंजीकरण किसी भी ऋण, देनदारियो, दायित्व, अनुबन्धों को प्रभावित नही करेगा जो रुपान्तरण से पहले किये गये उपगत किये गये थे इस तरह तरह से लागू किये जा सकते है कि ऐसा पंजीकरण नही किया गया था।

सहायक कम्पनी, होल्डिंग कम्पनी में शेयर नही रखेगी धारा -19

कोई भी कम्पनी (स्वंय / नामांकित व्यक्ति) अपनी होल्डिंग कम्पनी में कोई शेयर नहीं रखेगी
कोई भी होल्डिंग कम्पनी अपने शेयरो को अपनी किसी भी सहायक कम्पनी को आवंटित / हस्तांतरित नही करेगी।
कम्पनी के शेयरो का उसकी सहायक कम्पनी को ऐसा कोई भी आवंटन हस्तान्तरण अमान्य होगा अपवाद -

Case1	Case 2	Case-3
(1) जहाँ सहायक कम्पनी धारक कम्पनी के मृतक सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि के रुप में ऐसे शेयर रखती है।	जहाँ सहायक कम्पनी ट्रस्टी के रुप मे ऐसे शेयर रखती है	जहां सहायक कम्पनी होल्डिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी बनने से पहले ही शेयरधारक है
सहायक कम्पनी को वोट देने का अधिकार दिया गया		वोट देने का अधिकार ×

दस्तावेजो को जारी करना धारा-20

(1) दस्तावेज को कम्पनी या उसके अधिकारी को कम्पनी के RO पर भेजकर दिया जा सकता है। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर सेवा, इसे इसके RO पर छोड़ दे। ऐसे इलेक्ट्रानिक या अन्य तरीके जो निर्धारित किये जा सकते है (Fax/Email

Registered office

(2)- दस्तावेज को ROC या किसी भी सदस्य को भेजकर दिया जा सकता है डाक, पंजीकृत, स्पीड पोस्ट, संदेशवाहक, उनके कार्यालय या पते पर विवरण ऐसे इलेक्ट्रानिक या अन्य साधन जो निर्धारित किये जा सकते है

(3) सदस्य वार्षिक आम बैठक मे निर्धारित शुल्क का भुगतान करके किसी विशेष माध्यम से डिलिवरी का अनुरोध कर सकते है।

Teacher's Signature..........

DATE
PAGE NO.

दस्तावेजों, कार्यवाही और अनुबंधों का प्रमाणीकरण धारा 21

इस अधिनियम मे अन्यथा उपबंधित के सिवाय :.

(a) दस्तावेज या कार्यवाही जिसके लिये कंपनी द्वारा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है

(b) कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से किये गये अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये जा सकते है

Key Manager personel or
इस संबंध मे बोर्ड द्वारा विधिवत प्राधिकृत कम्पनी का अधिकारी या कर्मचारी

विनिमय बिली का निष्पादन आदि धारा 22

(1)→ Bill of Exchange हुंडी, वचन पत्र

किसी भी व्यक्ति द्वारा कम्पनी की ओर से यदि वह स्वीकृत / आकर्षित / समर्थित किया गया तो उस व्यक्ति के पास व्यक्त व निहित करने का अधिकार है

(2)→ कम्पनी किसी भी व्यक्ति को अपने वकील के रुप मे किसी भी स्थान (भारत या भारत के बाहर) मे अपनी ओर से अन्य कार्य निष्पादित करने के लिये अधिकृत कर सकती है

- कम्पनी की सामान्य मुहर है
  ↓
  ऐसे व्यक्ति को अपनी सामान्य मुहर के तहत लिखित रुप से अधिकृत करना
- कम्पनी के पास कॉमन सील नही है
  ↓
  प्राधिकरण 2 - निदेशकों या + CS द्वारा किया जायेगा यदि नियुक्त किया गया हो

(3) कम्पनी की ओर से ऐसे वकील द्वारा हस्ताक्षरित और उसकी मुहर के तहत किया गया कार्य कम्पनी को बाध्य करेगा।

Eg → Co. — Partnership deed — Kalia

Authority paper → Expl res Gurpreet (Authority)

Written Autho → Power of Autorny

Partnership deed: Sing On behalf of company Gurpt — Sign Kalia

To give Authority to Gurpreet

PoA → Power of Autorny & Written Authority

Company common seal / 2 director sing / 1 direc / 1 company Secretary

पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

- **राज्य में कोई परिवर्तन नही धारा (12)**
  - एक ही शहर, कस्बे गाँव के भीतर
    - Board Resolution only
    - Notice to ROC (30 days)
  - शहर कस्बे गाँव की स्थानीय सीमाओ के बाहर
    - बोर्ड संकल्प + विशेष संकल्प
    - ROC Notice (30 days)
  - वही राज्य लेकिन ROC में परिवर्तन
    - बोर्ड संकल्प + विशेष कल्प + Regional director Approval
    - आवेदन प्राप्ति के 30 दिनो के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करना होगा।
    - कम्पनी को 60 दिनो के भीतर ROC के पास इसे दाखिल करना होगा।
    - ROC द्वारा दाखिल पुष्टिकरण की तिथि से 30 दिनो के भीतर प्रमाणित किया जायेगा।
- **राज्य में परिवर्तन (धारा 13)**
  - मंडल प्रस्ताव
  - + विशेष प्रस्ताव + Central Government
  - अनुमोदन (RD) को प्रत्यायोजित
  - कम्पनी द्वारा दोनो राज्यों के ROC को नोटिस जारी किया गया
  - ROC ताजा COI जारी करता है।